घटना स्थल से प्राप्त फिंगर प्रिंट के आधार पर अज्ञात प्रतिवेदित कांड में अभियुक्त की पहचॉन स्थापित किया गया

दानापुर थाना कांड संख्या 75/13, दिनांक 21.02.13 धारा 394 भा0द0वि0 विरूद्ध अज्ञात के प्रतिवेदित हुआ। इस कांड में अज्ञात अपराधकर्मी अजय कुमार पे0 जुगेश्वर राय, सा0 खरंजा रोड, थाना दानापुर, जिला पटना के घर में प्रवेश किये और घर में उपस्थित अजय कुमार की पत्नी सुमन राय को ईट से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिए। सुमन राय के जख्मी होने के उपरांत एक डब्बा में रखा हुआ जेबर एवं रूपया लेकर अपराधकर्मी फरार हो गये। अनुसंधान के क्रम में पुलिस प्रयोगशाला, पटना के फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ ने घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किये। इस क्रम में घटना स्थल पर मौजूद एक प्लास्टिक के डब्बा पर चॉस फिंगर प्रिंट पाया गया। जिसे फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ के द्वारा लिफ्ट किया गया। इस घटना के बाद फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 29/13 के अनुसंधान के क्रम में एक अपराधी मुकेश ठाकुर पे0 नरेश ठाकुर को गिरफ्तार किया गया एवं इस अपराधी के फिंगर प्रिंट का नमूना प्राप्त किया। इस फिंगर प्रिंट को पुलिस प्रयोगशाला के *FB Record* से मिलान कराया गया। जिसमें पाया गया कि दानापुर थाना कांड संख्या 75/13, दिनांक 21.02.13 धारा 394 भा0द0वि0 में घटनास्थल पर मौजुद प्लास्टिक के डब्बा पर चॉस फिंगर प्रिंट नमूना मुकेश ठाकुर के फिंगर प्रिंट नमूना के बॉई तर्जनी से मिलता है।

इस प्रकार चॉस फिंगर प्रिंट के आधार पर मुकेश ठाकुर के अभियुक्तिकरण को दानापुर थाना कांड संख्या 75/13 में वैज्ञानिक तरीके से स्थापित किया जा सका।